न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 61 / 2017

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 शिवभगवान उम्र 63 वर्ष पुत्र जीतमल जाति अग्रवाल महाजन निवासी ग्राम रहनावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर हाल निवासी वीर तेजा कॉलोनी नवलगढ़ रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सांवरमल उम्र 62 वर्ष पुत्र जीतमल।
2 कैलाश उम्र 46 वर्ष पुत्र दीपचन्द समस्त जाति अग्रवाल महाजन निवासी ग्राम रहनावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 विजय कुमार उम्र 46 वर्ष पुत्र रामप्रसाद।
4 विमल कुमार उम्र 40 वर्ष पुत्र रामप्रसाद।
5 पवन कुमार उम्र 39 वर्ष पुत्र रामप्रसाद समस्त जाति महाजन निवासी रहनावा तहसील लक्ष्मणगढ़ हाल वीर तेजा कॉलोनी नवलगढ़ रोड़ सीकर।
6 शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
7 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ भूमिधारक राज्य सरकार तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर दावा संख्या 44/2016 बउनवानी सांवरमल बनाम कैलाश निर्णय दिनांक 04.07.2017 पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार महला आर.जे. एस.

उपस्थित

1. श्री राजेन्द्र कुमार मातवा अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री फूलचन्द थालोड़ अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री देवेन्द्र कुमार अग्रवाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 11-01-19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा दावा संख्या 44/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेंट ने विचारण न्यायालय के समक्ष भूमि खसरा नम्बर 243,268 वाके ग्राम रहनावा के सन्दर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की और से विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी एवं आदेश 7 नियम 11 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था विचारण न्यायालय ने विचाराधीन वाद में न तो जवाब प्राप्त किया, न ही तनकी कायम की, न ही साक्ष्य ली, न ही प्राथमिक डिक्री जारी की, न ही विभाजन प्रस्ताव पर प्रस्तुत आपत्ति पर निर्णय किया, न ही आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आवेदन को निस्तारित किया अपितु बिना किसी विधिक प्रावधान/प्रकिया अपनाये सीधे ही अन्तिम डिक्री पारित कर दी है। जो विधि विरूद्व है अपील स्वीकार की जायें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में तहरीर भेजकर पक्षकारो को सुचना देकर बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन लोक अदालत की सूचना देकर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है अपील अपीलांट सारहीन है खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में अपीलांट की और से विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी एवं आदेश 7 नियम 11 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था विचारण न्यायालय ने विचाराधीन वाद में न तो जवाब प्राप्त किया, न ही तनकी कायम की, न ही साक्ष्य ली, न ही प्राथमिक डिक्री जारी की, न ही विभाजन प्रस्ताव पर प्रस्तुत आपत्ति पर निर्णय किया, न ही आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आवेदन को निस्तारित किया अपितु बिना किसी विधिक प्रावधान/प्रकिया अपनाये सीधे ही अन्तिम डिक्री पारित कर दी है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन पर प्रकट हुआ कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट की आपत्ति, आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आवेदन संलग्न है किन्तु आदेशिका में इसका कोई उल्लेख नही है आदेशिका दिनांक 30.05.2017 तक लिखी हुई है। इसके उपरान्त पत्रावली में आदेशिका लिखी हुई नही है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के प्रावधानों को नजर अंदाज कर प्रक्रिया अपनाये बिना विचाराधीन निर्णय मनमर्जी से पारित किया है। जिसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति एवं आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्ष को सुनकर विधिक प्रक्रिया अपनाकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 11.01.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

11.1.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर